इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017—वैशाख 11, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2017

क्र.-5-1-2017-बाईस-पी-1.—मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,-

नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:—

''7 अनुशासन तथा नियंत्रण- ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी—

(क) ग्राम पंचायत सचिव को सेवा से स्वत: ही पृथक् माना जाएगा यदि वह मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) के उपबंधों के अधीन दण्डित किया जाता है या उसके विरुद्ध किसी राशि की वसूली का आदेश पारित किया जाता है या किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के लिए दोषी ठहराया जाता है:—

(ख) ग्राम पंचायत सचिव को सात दिन की कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् निम्न परिस्थितियों में दंडित किया जाएगा:-

(एक) कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में;

(दो) अमर्यादित आचरण करने की दशा में;

(तीन) ग्राम सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पास होने की दशा में कि सचिव अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रीति में नहीं करता.

(चार) गंभीर अनुशासहीनता के आचरण की दशा में.

(ग) निम्नलिखित दण्डों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके कोई भी उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:—

(एक) सेवा से पदच्युत करना; अथवा

(दो) वेतनवृद्धि रोकना; अथवा

(तीन) पंचायत/राज्य सरकार को हुई हानि की राशि की वसूली करना; अथवा

(चार) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अवैतनिक अथवा शून्यकाल (dies-on) घोषित करना.

(घ) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी होगा, दण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर, अपील, आयुक्त, पंचायत, मध्यप्रदेश के समक्ष, दाखिल की जा सकेगी.

(ङ) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा.

(एक) सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे.

(दो) संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को प्रमाणित साक्ष्यों का अवलोकन कराया जाएगा.

(तीन) खंड (ख) के अधीन सूचना जारी करने के दिनांक से दो मास के भीतर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करनी होगी.

File No F-5-1-2017/XXII/P-1.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Condition of Service) Rule, 2011, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Discipline and Control.

Disciplinary action against the Gram Panchayat Secretary shall be taken under the following cirumstances;—

(a) The Gram Panchayat Secretary shall be deemed to have automatically terminated from services if he has been punished or any order has been passed for recovery of any amount under the provisions of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) or he has been convicted by the court for any offence of moral turpitute.

(b) The Gram Panchayat Secretary, after giving seven days Show Cause notice and after giving him opportunity of being heard, shall be punished under the following conditions :—

(i) In case he is continuous unauthorisedly absent from duty;

(ii) In case he misbehaves;

(iii) In case the resolution has been passed by the Gram Sabha to the effect that the Secretary negligently performs his duties or he does not discharge the duties properly;

(iv) In case he behaves seriously indisciplined manner.

(c) Any proper punishment out of the following punishments may be imposed by passing the speaking order in writing,—

(i) termination of Service; or

(ii) withholding of increment; or

(iii) recovering the amount of loss to Panchayat/State Government; or

(iv) the period of unauthorized absence to be declared dies-non or without pay.

(d) The Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall be the competent authorily for taking disciplinary action. The appeal shall be filed before the Commissioner, Panchayat Raj Sanchalnalay within 15 days from the date of order of imposing punishment.

(e) For the purpose of taking disciplinary action, the folloing conditions shall be followed by the Competent Autority,—

(i) principles of natural Justice for hearing shall be applicable;

(ii) to show the certified proof to the concerned Secretary of Gram Panchayat;

(iii) all proceedings shall have to be completed within two months from the date of issuing the notice under clause (b) above.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.